कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांकः– 358/12-1 दिनांक, रामनगर 05/08/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक 74 / FP/UK/IRRIG/155063/2022 दिनांक 07.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रकरण पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा 10 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाई गई है। अतः आप प्रस्ताव मूल प्रतियों में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून एवं इस कार्यालय से प्राप्त कर आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अग्रेषित

वरिष्ठ प्रभारी वन अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

R
19-7-22

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 74 /FP/UK/IRRIG/155063/2022 देहरादून:दिनांकः 07 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषयः–जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के कालाढुंगी रेंज के बौर वन ब्लॉक के अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिये बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–2003/12–1 दिनांक 28–06–2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। ऑनलाइन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् निम्नानुसार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्नानुसार हैं:–

1. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–A(x) में वन भूमि कितने वर्षो हेतु प्रत्यावर्तित की जा रही है, की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। कृपया सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
3. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–B 2.3 में लाभान्वित होने वाले सभी ग्रामों का उल्लेख करते हुये सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव में ऑनलाईन पैरा–E में कोई सूचना अपलोड नहीं की गयी है। सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–33 में पांच ग्राम पंचायतों का लाभान्वित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रपत्रों में एक ही ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
6. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑलाईन पार्ट–II में कोई सूचना अपलोड नहीं की गयी है।
7. प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना संलग्न नहीं की गयी है।
8. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थलीय निरीक्षण आख्या (प्रपत्र–5) के बिन्दु–b पर सूचना अंकित नहीं की गयी है।
9. प्रस्ताव में संलग्न मानचित्रों के अवलोकन से विदित हो रहा है कि प्रस्तावित नहर, निर्माण हैड से आरम्भ होकर जंगल में समाप्त हो रही हैं, जो कि आबादी क्षेत्र से काफी दूरी पर है। स्थिति स्पष्ट करें।
10. प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियाँ पाई गयी हैं अथवा जो अन्य बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या /FP/UK/ROAD/150531/2021 तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि :–प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सूचना/आख्या सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि :–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा, (ऊधमसिंह नगर) को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव सभी तीन प्रतियों में इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त नैनीताल.
पंजीकरण सं० 394
पंजी० सं० 12-1
दिनांक 20-7-22

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक